8

महिला एवं विकास—स्वयं-सहायता समूह आंदोलन

(WOMEN AND DEVELOPMENT— THE SELF-HELP GROUP MOVEMENT)

स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता संवर्द्धन हेतु भारत सरकार ने स्वयं-सहायता समूहों का प्रावधान किया है। वर्तमान में चिंता का केन्द्र बिन्दु, सरकार पोषित संस्थानों से हटकर विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक संस्थानों पर केन्द्रित हो गया है। ये संस्थान अधिशासन की औपचारिक संरचना के परिक्षेत्र से बाहर स्थित होते हैं एवं फलते-फूलते हैं।

आठवीं योजना इस बात की व्याख्या करती है कि विकास का रूपांतरण जन-आंदोलन के रूप में होना चाहिए। लोगों द्वारा की गई पहल एवं भागीदारी विकास की समग्र प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हल के रूप में पहचाने जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, भू-सुधार, कुशल भू-प्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रबंधन, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, वनकटाव, पशुपालन, दुग्ध-शालाएँ, मत्स्यपालन एवं रेशम कीट पालन इत्यादि के क्षेत्र में समुदाय के प्रति जवाबदेह जन-संस्थाओं का सृजन करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

जन केन्द्रित विकास पर जोर दिए जाने से नागरिक समाज के क्रियाकलापों का एक विस्तृत क्षेत्र उभर कर सामने आया है। इससे स्वयं-सहायता समूह की भूमिका एवं अवधारणा सुनिश्चित करने में मदद मिली है। साथ-ही-साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली में सुधार हुआ है तथा मानवीय क्षमताओं का दायरा बढ़ा है। गैर-सरकारी संगठनों ने भारत में स्वयं-सहायता पर बल दिया है। नवीं पंचवर्षीय योजना में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका को पहचान दी गई है। नवीं पंचवर्षीय योजना स्वयं-सहायता समूहों में महिलाओं को संगठित करने पर बल दिया गया है जिससे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।

स्वयं-सहायता समूहों के क्रियाकलापों के द्वारा ग्रामीण भू-परिदृश्य चिन्हित किया गया है एवं ये समूह व्यक्तियों, स्थानीय बैंकों एवं सहकारिताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। ये दिन-प्रतिदिन सामाजिक क्रियाकलापों की धुरी बनने जा रहे हैं एवं महिलाओं हेतु सामुदायिक मंच प्रदान करते हैं ताकि वे ग्रामीण मामलों से संबंधित क्रियाकलापों एवं सामुदायिक मुद्दों पर बोल सकें। ये महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करके जहाँ वे एकत्रित होकर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान, उनकी समस्याओं की विवेचना एवं एक-दूसरे का अनुसमर्थन करके सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

परिभाषा (Definition)

स्वयं-सहायता समूह गरीब लोगों के छोटे-छोटे स्वैच्छिक संगठन हैं जो वरीयमान दृष्टि से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े युवा वर्ग विशेषकर महिलाओं पर केन्द्रित हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(NABRD) ने 1997 ई. में स्वयं-सहायता समूहों को ग्रामीण गरीबों के छोटे आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के रूप में पारिभाषित किया। इनकी संरचना स्वैच्छिक रूप से की जाती है, जिनकी संरचना स्वैच्छिक रूप से बचत करके धन एकत्र करना तथा अपने सदस्यों की समूह के सदस्यों के निर्णय के अनुसार उधार देने के लिए की जाती है।

ये सर्व-महिला समूह, सर्व-पुरुष समूह या यहाँ तक कि मिश्रित समूह हो सकते हैं जिनमें 10 से 25 सदस्य होते हैं जो जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा या राजनीति से ऊपर उठकर मानव समाज में समानता की परिकल्पना करते हैं। हालांकि अनुभवों ने यह स्थापित कर दिया है कि SHG की सभी महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का निष्पादन महिला समूह बेहतर ढंग से करते हैं। ऐसे समूहों में निर्धन महिलाएं विभिन्न कारणों जैसे आपात्कालीन, विपत्ति, सामाजिक मेलजोल, आर्थिक मेलजोल जैसे एक दूसरे की मदद करना आदि कारणों से एकजुट होती हैं। महिला की स्वयं-सहायता समूह की सफलता से दिशा लेकर विश्व बैंक ने भी उन्हें प्रोत्साहन दिया है कि इस मॉडल को दूसरों के लिए भी अनुकूल किया जा सकता है। ये समूह महिला सशक्तिकरण के युग में प्रवेश करने हेतु मूक क्रान्ति की दिशा में, निर्धन महिलाओं को एक मंच प्रदान करते हैं।

एक स्वयं-सहायता समूह एक ग्राम-आधारित सूक्ष्मवित्त मध्यस्थ हैं जो एक तरफ अनौपचारिक वित्त बाजार नायक जैसे महाजन या संग्राहक तथा दूसरी ओर औपचारिक नायक जैसे सूक्ष्म वित्त संस्थान व बैंक के बीच स्थित वाह्य तकनीकी समर्थन द्वारा प्रेरित हैं। "स्वयं-सहायता समूह समांगी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि वाले सूक्ष्म उद्यमियों का पंजीकृत या गैर-पंजीकृत समूह है, जो नियमित रूप से धन की सूक्ष्म राशि को नियमित रूप से बचाने के लिए, एक सर्वनिष्ठ (कॉमन) फण्ड में अंशदान के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुआ पारस्परिक सहायता के आधार पर आपात्कालीन जरूरतों को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एक जुट हुए हैं।

स्वयं-सहायता समूह विकास के तीन चरणों से गुजरते हैं :

(i) समूह निर्माण अर्थात् निचले स्तर पर लोगों के स्वयं-प्रबंधित संगठनों के रूप में विकसित होने के लिए समूहों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण।
(ii) घूर्णन करने वाले फण्ड का सृजन करके अपने समूहों व उनकी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु कौशल के विकास द्वारा पूंजी निर्माण।
(iii) आर्थिक गतिविधियों द्वारा आय उत्सर्जन।

SHG के उद्देश्यों का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है :

- महिलाओं में आत्मविश्वास व क्षमताओं के स्तर को बढ़ाना।
- महिलाओं के बीच समूह की भावना का सृजन करना।
- महिलाओं को सचेतन बनाना और उनके सशक्तिकरण में सहायक बनना।
- महिलाओं को प्रोत्साहित करना और महिलाओं में बचत की आदत का सृजन करना तथा उनके अपने पूंजी संसाधन आधार के संग्रहण में सहायता करना।
- महिलाओं में सामूहिक निर्णय-निर्माण को विकसित करना।
- महिलाओं को सामाजिक उत्तरदायित्वों को लेने के लिए प्रेरित करना विशेष रूप से महिलाओं के विकास से संबंधित उत्तरदायित्वों की।

स्वयं-सहायता समूहों की कार्यविधि
(Working of Self-Help Groups)

भारत में SHG का सिद्धान्त 1985 में प्रतिपादित किया गया, जिससे बहुत से विभिन्न उद्देश्य लिए शामिल थे। SHG दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व-एशिया के अन्य देशों में भी पाये जाते हैं। SHG वि मध्यस्थता, स्वप्रबंधन की प्रक्रिया के साथ कम लागत वित्तीय सेवाएं स्वयं प्रबंधन के प्रक्रम के साथ एक भिन्न तरीके को प्रोत्साहित करते हैं।

SHG उन ग्रामीण निर्धनों के छोटे, आर्थिक, समांगी मैत्री समूह हैं, जो स्वैच्छिक रूप से अपने सद को भेजी जाने वाली बचतों के जरिए सृजित सर्वनिष्ठ फण्ड में योगदान करने को तैयार हैं। सामान्य वे बिना किसी वाह्य वित्तीय पूंजी के तथा अपने सदस्यों के नियमित छोटे या बड़े अंशदानों से आ करते हैं। वे अपनी बचतों को एक सर्वनिष्ठ फण्ड समूह संपत्ति में रूपांतरित करते हैं। स्थापित हो व पर्याप्त बचत इकट्ठा हो जाने के बाद, वे आगे बढते हैं तथा उन्हें उपलब्ध सूक्ष्म उद्यमों की पर को व्यापक करने के उद्देश्य के साथ पूंजी की और बड़ी मात्रा तक पहुँचने का प्रयास करते हैं।

समूह का सूत्रपात इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से छोटे होने चाहिए। इसके 20 प्रतिशत अधिकतम 30 प्रतिशत सदस्य गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर के परिवारों से अभिज्ञानित व लिए जा सकते हैं; वे लगातार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के साथ रह रहे हों तथा उनमें वे स्वीकार्य हैं। हालांकि वे योजना के तहत दी गयी छूट के पात्र व कार्यालय पदाधिकारी नहीं हो सकते।

समूह आचार-संहिता के तहत कार्य करता है। नियमित बैठकें साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर होती हैं, जिनमें सदस्यों की प्रजातांत्रिक भागीदारी होती है व वे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मुक्त होते हैं। बैठकों में चर्चाएं एक तय एजेंडा पर होती हैं।

समूह संपत्ति सदस्यों द्वारा नियमित बचतों के जरिए संग्रह की जाती है, जो स्वेच्छा से समूह बैठकों में नियमित रूप से समस्त सदस्यों से बचत राशि इकट्ठा करते हैं। यह फण्ड सदस्यों को भागीदारी निर्णय-निर्माण प्रक्रम पर सदस्यों को ऋण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। समूह संपत्ति फण्ड वित्तीय प्रबंधन के तहत कार्य करता है, जिसके अंतर्गत ऋण स्वीकार प्रक्रिया, पुर्नभुगतान सारणी व ब्याज दरें आती हैं।

समूह को साधारण मूल रिकॉर्ड सहेजने होते हैं जिसमें सारांश पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, साधारण बही, ऋण बही, नगद पुस्तिका, बैंक पास-बुक आदि होते हैं।

समूह नेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व उसे पढने-लिखने, सदस्यों से बचतों का इकट्ठा करने व रजिस्टरों में रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त शिक्षित होना चाहिए।

ये कार्य संबंधी सिद्धांत समूह-घनिष्ठता, स्वयं समूह जागरूकता व प्रजातांत्रिक कार्य-प्रणाली के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित होते हैं। अधिकांश स्वयं-सहायक समूह सामान्यतः गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, सरकारी एजेन्सियों द्वारा या बैंकों द्वारा आरंभ किए जाते हैं समूह निर्णयों के अनुसार वे नियमित बैठकों, बचतों व ऋण पुनर्भुगतान के जरिए वित्तीय व्यवहारों की मध्यस्थता करते हैं। SHG के लक्ष्य में गरीबी विरोधी एजेंडा, महिला सशक्तिकरण, निर्धनों में नेतृत्व क्षमताओं का सृजन करना, स्कूल भर्ती में, सुधार द्वारा साक्षरता दर बढ़ाना, पोषण मानकों में सुधार करना विशेष रूप से ग्रामीण निर्धन में आदि का समावेश होता है।

SHG बैंकों व व्यापक विकास कार्यक्रमों से भी जुड़े होते हैं। बहुत से ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (SGSY) स्वयं-सहायता समूह रणनीति पर आधारित हैं तथा छः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संयोजन है। यह महिलाओं को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है व ग्रामीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योग्य विकल्प है।

SHG में चयनित कार्यालय पदाधिकारी होते हैं जिनमें अध्यक्ष (चेयरमैन) एक उपाध्यक्ष (डिप्टी) एक खजांची (ट्रेजरर) व अन्य कार्यालय पदाधिकारी होते हैं। वे सदस्यों से बचत को इकट्ठा करने के लिए नियमित आधार पर सप्ताह या पक्ष में एक बार मिलते हैं। बचत को इकट्ठा करने के बाद सदस्यों की प्राथमिकता तय करते हैं कि किसे ऋण दिया जा सकता है, संयुक्त गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने या सामुदायिक व्यवसाय चलाने पर चर्चा करते हैं तथा किसी विवाद, यदि खड़ा हो तो उसका समाधान ढूंढते हैं।

अपनी खुद की बचत को इकट्ठा करके SHG आगे बढ़ते हैं तथा निवेश उद्देश्यों के लिए औपचारिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जब नाबार्ड (NABARD) ने SHG से जुड़े कार्यक्रमों का प्रतिपादन किया, उसके प्रथम चार वर्षों के भीतर अर्थात 1992 व 1996 के बीच लगभग 3000 समूहों ने बैंकों से उधार ग्रहण किया था।

ग्रामीण उद्यमों के लिए, विलसन (Wilson) द्वारा किए अनुमान दिखाते हैं कि भारत में अब 5,00,000 स्वयं-सहायता समूह हैं जिनके कुल 8 मिलियन सदस्य हैं, तथा ये समूह 400 से अधिक बैंकों के लगभग 20,000 ग्रामीण आउटलेटों से जुड़े हैं जिनका अग्रिम समुच्चय (पोर्टफोलियो) 240 मिलियन से अधिक का है।

गैर-सरकारी, संगठन, सरकारी कार्यक्रम व सूक्ष्म-वित्तीय संस्थान भी SHG सदस्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुक-कीपिंग, लेखांकन व्यवसाय नियोजन जैसे हुनर के लिए उद्यम प्रशिक्षण देते हैं, जो उन्हें लघुव्यवसाय स्थापित करने में सहायक होते हैं तथा व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक हुनर में तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए कुम्बल–गोडू में स्थित यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (YMCA) सिल्क उद्योग केन्द्र में रेशम के कीड़े के पालन के लिए प्रशिक्षण देते हैं।

SHG ने अपने उत्पादों के विपणन (मार्केटिंग) के लिए कई उपाय किये हैं। आंध्र प्रदेश में DWCRA कार्यक्रम के तहत, अनेक जिलों में विपणन केन्द्र (आउटलेट) या DWCRA बाजार स्थापित किए गये हैं। ये बाजार बहुत सफल रहे हैं तथा इन्होंने ₹100 करोड़ से अधिक के उत्पाद बेचे हैं। गुन्टूर जिले के SHG ने अपने माल के लिए उत्साह जनक प्रतिक्रिया प्राप्त की, उनके उपचारों के लिए न केवल क्षेत्रीय बाजारों बल्कि निर्यात के लिए भी ऑर्डर प्राप्त हुए।

ऐसा ही एक अन्य शुभारंभ केरल बागवानी विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया जिसकी स्थापना यूरोपीय संघ व केरल सरकार के बीच सहकारिता द्वारा 1993 में की गयी थी । इसके उद्देश्यों में बागवानी फसल उत्पादन, व अपने उत्पादनों की प्रसंस्कृति व उनका विपणन शामिल थे। प्रकाश व नेहरू के अनुसार "विपणन बुनियादी ढाँचा कार्यस्थल स्तर में 10-15 SHG से प्राप्त उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए कार्यक्षेत्र केन्द्रों की स्थापना शामिल है। इन केन्द्रों का सिद्धान्त, किसानों व बाजारों के सृजन तथा सामुदायिक लाभों से लाभांवित होने-थोक विक्रेताओं व दलालों को बिक्री के दृष्टिकोण से व बाजार सूचना के दृष्टिकोण से, दोनों ही तरह से लाभांवित होने की परिकल्पना करते हैं बागवानी कार्यक्रम को SHG बाजार के नजदीक लाने में सफल माना गया है।

SHG का एक सफल प्रयोग हस्तकला उत्पादन के क्षेत्र में रहा है। ये हस्तकला उत्पादन भारतीय व विदेशी दोनों बाजारों में अत्यधिक प्रचलित रहे हैं। तकनीक के विकास से, इनकी बिक्री इंटरनेट के जरिए उपलब्ध है। इसका एक उदाहरण वैश्विक बाजार-स्थल है। Org., एक डॉटकॉम कम्पनी है जो अनेकों गैर-लाभ ग्राही संगठनों के जरिए SHG द्वारा बनाये हस्तशिल्प की बिक्री की सुदिधा प्रदान करती है।

उद्यमिता तथा आर्थिक विकास जालतंत्र (NEED) लखनऊ में स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है जो निर्धन महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों के बीच उद्यम संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। संगठन उन्हें प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों में भी जुड़ने का प्रयास करता है। "NEED ने एक व्यापक प्रशिक्षण मॉडल" स्वरोजगार के लिए उद्यमिता से जुड़ा आयोत्सर्जन कार्यक्रम को परिभाषित किया। इस कार्यक्रम में 6 लचीले मॉड्यूलों की एक श्रृंखला है, जिसे अतिरिक्त उद्यम प्रशिक्षण के इच्छुक ग्रामीण महिला-पुरुषों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है। NEED ने प्रशिक्षण दस्तावेज प्रकाशित किये हैं तथा गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी विभागों, बैंकों व SHG लीडरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है"।

SHG ग्रामीण क्षेत्रों में मूक क्रांति लाने में एक उत्प्रेरक की भाँति कार्य करते हैं। इन समूहों ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतिपादन किया, साथ ही उनमें सामाजिक जागरुकता व आत्मविश्वास जगाया है। यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्मीदेवी, भरम्या स्वसहाय-गुप SHG की लीडर 15 सदस्यों व उनके बच्चों के समस्त समूह का नेतृत्व कनमिनीबे गाँव में मद्य की दुकानों का विरोध करने में भी करती हैं, ये दुकानें उन्हीं के दबावों के कारण ही बन्द हुईं।

ये महिलाएं कभी आंगनवाड़ी या सामुदायिक शिशु पालन केन्द्र (Creche) में भी कार्यरत होती हैं जो गतिविधियों के केन्द्र हैं, जहाँ सरकार के अधिकांश कल्याण कार्यक्रम जैसे समेकित बाल विकास योजना या (ICDS) या स्त्री शक्ति आदि चलाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य-प्रदेश में डेरी सहकारिता सेक्टर में स्त्री शक्ति कार्यक्रम, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-व-रोजगार कार्यक्रम की भांति भी कार्य करता है।

स्व-सहायता समूह उन समूहों के बीच मैत्री का भी विकास करते हैं जो अनेकों मुद्दों पर उन्हें जोड़ती है। एक समूह की सुपरवाइजर मंगला गौरी टिप्पणी करती हैं, हम प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनकी समस्याओं को, पृष्ठभूमि को, उनके विषय में सबकुछ जानते हैं। इससे हमें समूह की शक्ति को जानने में सहायता होती है, जो एक सुदृढ़ SHG के निर्माण के लिए अतिआवश्यक है। इस प्रकार SHG व्यवस्था सामाजिक सशक्तिकरण, साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावी है।

इससे भी अधिक, यह व्यवस्था निर्धन लोगों को नीतियों पर अपना प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करती है और यहाँ तक कि जिला व राज्यस्तर पर प्रभावी दबाव समूहों का गठन भी करते हैं।

स्व-रोजगारी महिला संघ (SEWA)

SEWA की नींव 1971 में इला भट्ट द्वारा रखी गयी तथा 1972 में यह एक व्यापार संघ के रूप में पंजीकृत हुआ। इसके द्वारा इला भट्ट ने एक ऐसे माध्यम का सृजन किया जिसके द्वारा स्वरोजगारी, निर्धन महिलाओं की पहुँच न्याय तक हुई और वे पुलिस व अन्य हिंसा तथा शोषण का सामना कर सकीं।

एक प्राचीन ब्रिटिश कानून के कारण जो अभी भी प्रचलन में था, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैठकर अपने सामान को बेंच कर, महिलाएं एक अपराध कर रही थीं। इस कारण उन्हें अधिकृत लोगों से अत्यधिक शोषण झेलना पड़ा। कई बार महिलाएं अपने सामान से हाथ धो बैठती थीं, शारीरिक हिंसा का शिकार हो जाती थीं तथा अहाते में से निकाल दी जाती थीं। SEWA की स्थापना के बाद महिलाओं ने न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया। एक युग प्रवर्तक आदेश में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह महिला व्यापारियों का हक व शहर का फर्ज है कि वह अनौपचारिक सेक्टर में श्रमिकों के लिए उनका व्यापार चलाने हेतु पृथक स्थान प्रदान करे।

SEWA मात्र एक व्यापार संघ या बैंक नहीं हैं, हालांकि ये इसकी शक्तियां हैं। यह निर्धन, स्वरोजगारी महिला श्रमिकों का एक संगठन है, जो अपने खुद के श्रम या लघु व्यवसाय के जरिए जीविकोपार्जन करती हैं। महिलाओं को, सभी संसाधनों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करके उनकी पूर्ण क्षमताओं तक पहुँचाने के इसके लक्ष्य ने इसका तीव्रता से विकास किया है।

SEWA ने संघर्ष व मोल-तोल के पारंपरिक यन्त्रों को कुशल रणनीतिज्ञता से इस्तेमाल किया है, जो अनेक श्रमिक संघ आदोलनों व अन्य तकनीकों का प्रमुख गुण रहे हैं। वे क्षेत्र जहाँ स्व-रोजगार या किसी रोजगार की संभावनाएं कम हैं, पारंपरिक संधीकरण तकनीकें काम नहीं करतीं । ऐसे मामलों में, सेवा ने विभिन्न महिला ग्राम संगठनों के साथ निचले स्तर पर कई बार इन समूहों को बनाने में सहायता करके कार्य किया है। SEWA महिलाओं को अपने संगठन को खुद चलाने, सहकारिता बनाने के लिए सक्षम करता है व बाजार-स्थल में सामूहिक रूप से तोल-मोल करने में सहायता करता है। इस प्रकार उन्हें कार्य सुरक्षा, आय खाद, सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चूँकि गुजरात एक डेरी उद्योग वाला राज्य है तथा वह राज्य है जहाँ गैर संधीकृत कामयाब है व छोटे सहकारिता के बने रहने का अवसर कम ही है, SEWA ने सर्वोच्च सफलता डेरी को आपरेटिव (सहकारी) सेक्टर में ही प्राप्त की।

SEWA के सदस्यों द्वारा अभिज्ञानित व विकसित अर्थव्यवस्था के उप-सेक्टर डेरी उद्योग, गोंद संग्रह, कढ़ाई, नमक उद्योग तथा पौधशाला (नर्सरी) हैं। समूह संगठन के सिद्धान्त ने महिलाओं को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सक्षम किया व निम्न-आय महिला वर्ग आर्थिक क्षेत्र में मजबूत तोल-मोल स्थिति का दावा करने के लिए संगठित हुई। आज SEWA के 2,20,000 से अधिक सदस्य, 362 उत्पादक समूह तथा 72 सहकारिताएं हैं।

स्वयं-सहायता समूह के लाभ

(Advantages of Self-Helf Groups)

स्वयं-सहायता समूह आर्थिक व सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। भारत SHG में निर्धनतम महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गये हैं। वास्तव में SHG छोटे अनौपचारिक समूह हैं जो महिलाओं को बचत करने में तथा उन ऋणों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं जो भारत में निर्धन की पहुँच में नहीं हैं। वित्तों का इस्तेमाल आय उत्पादन के लिए लघु व्यवसाय स्थापित करने में हो सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरीकों से स्वालम्बन प्रदान करना है।

SHG एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य का निमित्त है, क्योंकि यह महिलाओं को एक मंच प्रदान करता है, जहाँ वे मिल सकती हैं, अपने अनुभव बांट सकती हैं। अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकती

हैं व एक-दूसरे को सहारा दे सकती हैं। यह महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करता है तथा उन्हें नये विकल्प प्रदान करता है। यह महिलाओं के लिए, व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर आत्मविश्वास बनाने व क्षमता बनाने का एक प्रयोग है, क्योंकि यह घर के भीतर व बाहर तथा राजनीतिक रूप से महिलाओं की तोल-मोल की शक्ति को बढ़ाता है व साथ ही नीति-निर्माण व निर्णय-प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी उन्हें प्रदान करता है।

अनेकों SHG द्वारा प्रदान किया प्रशिक्षण महिलाओं के हुनर व ज्ञान में बढ़ोत्तरी करके उन्हें लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए तैयार करता है। महिलाओं ने SHGs की सहायता से अनेक क्षेत्रों में आवश्यक अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं जैसे मोमबत्ती बनाना, साड़ियाँ सिलना, दुकान स्थापित करना आदि। वे कृषि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, निर्माण कार्य, धातु हस्तशिल्प, मेकैनिकल मरम्मत व फैब्रिकेशन खिलौना निर्माण, सौर इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि गतिविधियों में भागीदारी कर रही हैं।

महिलाओं को अपनी पास बुक सहेजने के लिए अनिवार्य मूल साक्षरता व आंकिक हुनर भी सिखाए जाते हैं जो उन्हें उनके ऋणों का रिकॉर्ड, इसके पुनर्भुगतान की अवधि का रिकॉर्ड रखने तथा विद्यालय व्यवसाय चलाने में सहायक होते हैं।

SHG मॉडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित महिलाओं को घरों से बाहर आने में उनकी मदद की है तथा उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता दी है। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अनौपचारिक समूहों को मुख्यधारा की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है।

स्वयं-सहायता समूहों से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों के विषय में अनेकों प्रश्न उठाये जा सकते हैं। ये समूह उचित ढंग से अपने वित्तीय व्यवहारों का प्रबंधन कर रहे हैं, इस पर गंभीरता से संदेह किया जा रहा है। विलंब तथा पुनर्भुगतान, बाहरी लोगों को उधार, बढ़ रही कर्जदारी, दूरदृष्टि की कमी आदि जैसी समस्याओं के कारण समूहों के अस्तित्व में बने रहने व उनकी प्रभाविता के विषय में सवाल उठता है। अनियमितताओं पर नजर रखना बहुत कठिन हो जाता है, जो भविष्य में बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं।

विभिन्न आय उत्पादक गतिविधियों में कौशल को बढ़ाने के लिए उचित व लम्बी अवधि का प्रशिक्षण लेने में असमर्थ हैं। यहाँ महिलाओं की सोच में भी परिवर्तन होना आवश्यक है तथा कई बार महिलाओं में घरों की चहारदीवारी से बाहर आने के लिए आत्मविश्वास की भी कमी है। आज भी उनके जीवन का नियमन रीति रिवाजों व परंपराओं से होता है जो उनके विरुद्ध होते हैं। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां अंतहीन प्रतीत होती हैं। के (Kay) टिप्पणी करते हैं, "सूक्ष्म ऋण योजनाएं महिलाओं को बेरहम गरीबी से बाहर निकालने में समर्थ नहीं रही हैं, क्योंकि वे सामाजिक संबंधों तथा गरीबी के संरचनात्मक कारणों को बदल नहीं सकते।"

स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा दी ऋण राशि खपत व उत्पादक उद्देश्यों का संयोजन है, जहाँ 'खपत' व उत्पादक उद्देश्यों के बीच की रेखा धुंधली है। यह उधार प्रदान करने की पारंपरिक बैंकिंग रीति जैसी नहीं है, जो अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण न देने पर जोर देती है, क्योंकि खपत उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए ऋणों का पुनर्भुगतान सामान्यतः मुश्किल है।

स्वयं-सहायता समूहों को सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्हें सहायता देने के बजाय सरकार उन्हें अपना सलाहकार समझने लगी जिसके साथ उसे पारस्परिक लाभ की शर्तों पर वार्ता

करनी थी। रामजेट काम जोहल ऐसे उदाहरण देते हुए बताते हैं, हरियाणा वन विभाग जिसने सुखोमाजरी पोषक क्षेत्र के अस्तित्व को जब तक यह बंजर था, अनुमोदित नहीं किया, मगर जब इस क्षेत्र से राजस्व प्राप्त होना शुरू कर दिया तो इसमें रुचि दिखाना आरंभ कर दिया। भब्बर के वृक्षारोपण व अन्य उत्पादों ने इस क्षेत्र का मूल्य बढ़ा दिया और सरकारी लाभों में अपना हिस्सा लेने आ गयी।

इस प्रकार SHG की सफलता में रुकावटें निम्नलिखित हैं।

(a) सामाजिक कारक (कई बार निर्धनतम वे होते हैं जो जाति से जुड़े होने के कारण सामाजिक रूप से हाशिये पर हैं तथा वे होते हैं जो जाति से जुड़े होने के संभावित लाभों के प्रति संशय रखते हैं।)

(b) आर्थिक कारक (निर्धनतम के पास कई बार बचत में योगदान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं होते कई बार यह वे लोग होते हैं जो ऋण सत्र के दौरान स्थानान्तरण करते हैं जिससे समूह सदस्यता कठिन हो जाती है)

(c) कार्यान्वयन संगठनों के आंतरिक पक्षपात (चूँकि निर्धन से भी निर्धन तक पहुँच पाना व उन्हें प्रेरित करना बहुत कठिन है, कार्यान्वयन एजेन्सियाँ उन्हें छोड़ देती हैं व अपने आपको अगली धनी श्रेणी पर केन्द्रित हो जाती हैं)

निष्कर्ष
(Conclusion)

स्वयं-सहायता समूह में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्म-विश्वास प्राप्त करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की ओर बढ़ने व क्षमता निर्माण में समर्थ करते हैं। ये समूह आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा स्वावलम्बी व स्वतंत्र बनने में सहायता करते हैं, विभिन्न चरणों पर निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी व आय उत्पादक गतिविधियाँ करने में सहायता करते हैं। इन समूहों द्वारा महिलाओं को दी गयी वित्तीय सेवाएं ग्रामीण निर्धनता के उत्थान में योगदान करती हैं।

कई बार SHG में कर्मी के रूप में नियुक्त की गयी स्थानीय महिलाएं अपने प्रदर्शन व अनुभव के द्वारा प्रभावी सामुदायिक नेता बनती हैं। इससे महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण परिणामित होता है, क्योंकि SHG उन्हें चुनावों तथा मतदान के प्रति जागरुक व तैयार करते हैं। इसके लिए उन्हें नियमों के विषय में जानकारी दी जाती है, कैसे नामांकन पंजीकृत करना है तथा साथ ही समूह सदस्यों को प्रचार व वोट करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। नियमित बैठकों, निर्णय लेने, धन आवंटन आदि जैसी प्रासंगिक प्रक्रियाओं में उनके धनी अनुभव SHG व स्थानीय राजनीति के बीच प्रत्यक्ष सहकारिता में परिणामित हुए हैं।

स्वयं-सहायता समूह जनसाधारण या सामुदायिक स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल हैं तथा जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधा, नयी बुनियादी सुविधाओं जिनमें सड़कें, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव व गैर-सदस्यों को सहायता देना शामिल है, के लिए वित्तीय व श्रम योगदान जैसी सामुदायिक सेवाओं के सुधार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं।

इन संघों में महिलाओं को सामूहिक रूप से विभिन्न सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। SHG में महिलाएं एक साथ काम करके न सिर्फ अपने समूह के सदस्यों से संबंधित मामलों को बल्कि आम समुदाय के मामलों को भी उठाती हैं। अप्रत्यक्ष रूप

से, ऐसे प्रयास पंचायत, जिला या पुलिस अधिकारियों पर अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित ढंग से क के लिए दबाव का भी काम करते हैं। इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियाँ विभिन्न हैं। उ याचिका, रैली करना, बाधित करना व वार्ता में अपने हुनर का इस्तेमाल करना है।

व्यक्तिगत स्तर पर, समूह के सदस्य के रूप में संचालित गतिविधियाँ उनके छुपे हुनर को उजा करके व उसे और तराश कर उनमें आत्म विश्वास जगाने में सहायता करती हैं। साक्षरता कक्षाएं सदस को साक्षर बनने व चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरुक होने में सहायता करती हैं। महिला व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हुई हैं। विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने के लिए उन्होंने नये प्रशिक्ष प्राप्त किए हैं जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने परिवार को सहारा देने में समर्थ हुई हैं

अपने जीवन स्तर को सुधारने हेतु उन्हें उपलब्ध अवसरों में काफी बढोत्तरी हुई है, वह भी एक ऐसे देश में जहाँ आज भी अधिकांश महिलाएं हाशिए पर हैं। भावनाओं को आहत करने वाले ढाँचे के व्यापक रूपांतरण में यह एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि उनका नारी जीवन सामाजिक बाध्यता व कुरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की ओर रूझान में यह सहायक है। बारबरा एडॉल्प (Barbara Adolp) मानती हैं कि SHG की सदस्यता ने महिलाओं के जीवन में बेहतरी की ओर परिवर्तन किये हैं। एडॉल्प (Adolp) टिप्पणी करती हैं SHG व्यवस्था महिलाओं को शोषण व अलगाव से दूर होने की संभावना प्रदान करने में प्रासंगिक व प्रभावी सिद्ध हुई हैं।

आपदा के मामलों में भी स्वयं-सहायता समूहों ने पुनर्रचना प्रक्रिया में संयुक्त रूप से काम किया है। यहाँ तक कि जब 1991 में उड़ीसा में चक्रवात आया, तो आपदा में बची महिलाओं ने आपदा से उबर कर अपने स्वयं-सहायता समूह में टियर फण्ड साझेदार EFICOR के साथ मिलकर काम किया जो प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों की महिलाओं के साथ काम करने का प्रयास कर रहा है। जमुनाका गाँव के बासन्ती दुर्गा नाम के 17 सदस्यों वाले स्वयं-सहायता समूह ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 1,50,000₹ की राशि प्राप्त की। उन्होंने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया तथा 60,000₹ चावल के उत्पादन में निवेश कर दिये व बची हुई राशि धान कुटाई मशीन खरीदने में इस्तेमाल किए गये तथा चावल को चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध किया गया।

इस तरह स्वयं-सहायता समूहों ने बड़ी संख्या में महिलाओं के सामाजिक, वित्तीय व राजनीतिक सशक्तिकरण द्वारा उनके सम्पूर्ण विकास को दिशा प्रदान की है।

स्वयं-सहायता समूहों को और अधिक सफल बनाने के लिए अनिवार्य है कि उनको संगठित व क्रियारत करने की पूर्णतः पूर्व लिखित पद्धति से दूर हटाया जाए तथा कार्यप्रणाली में स्थानीयों की बुद्धिमत्ता को शामिल किया जाय। रोमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता रजिन्दर सिंह ने राजस्थान के अलवर जिले में अपना कार्य आरम्भ करते समय गाँव के बुजुर्गों से सलाह माँगी थी। सिंह व उनके दो सहयोगी सहमत थे कि वे वही करेंगे जो समाज उनसे करने को कहेगा।

कई बार विकास के लिए वचनबद्ध बाहरी एजेंसियां भी स्वयं-सहायता समूहों को आरंभ करने व उन्हें बनाये रखने में सफल हुई हैं। उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ से लगभग 30 किमी. की दूरी पर शिवालिक की छोटी पहाड़ियों में स्थित सुखोमाजरी जल संसाधन प्रबंधन परियोजना का सफल आरंभ केंद्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र चण्डीगढ़ के बचनबद्ध कर्मचारीगण की सहायता से हुआ। फोर्ड फाउंडेशन ने अनुदान दिया था, जो स्वयं-सहायता समूहों के लिए महत्वपूर्ण

उत्प्रेरक अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे अधिकारियों द्वारा मिट्टी के बाँधों के लिए तकनीक के विकास हेतु, केन्द्र द्वारा इस्तेमाल किया गया।

सुखोमाजरी परियोजना, सुखना झील के दोनों ओर बने बाँध के उस क्षेत्र को बचाने के लिए आरंभ की गयी थी जिस रास्ते से छात्र विद्यालय आते-जाते थे। यह परियोजना पर्वतीय संसाधन प्रबंधन सोसायटी द्वारा प्रबंधित की गयी थी यह सोसायटी गाँव वालों की है जिसमें गाँव के प्रत्येक परिवार का मुखिया शामिल है। इनके उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में चराई को रोकना, पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई को रोकना, प्राप्त भुगतानों के आधार पर सिंचाई के जल का वितरण, बाँधों का रख-रखाव आदि हैं। **वायुनंदन ई.** (Vayunandan E.) तथा **मैथ्यू** (Mathuv) **डॉली** (Dolly) टिप्पणी करते हैं, 'इससे लोगों की आय में वृद्धि परिणामित हुई' व इसने स्वयं-सहायता के जरिए स्थानीय नियंत्रण को पुनर्जीवित किया।

किश्वर (Kishwar) ने भी तरुण भारत संघ (TBS) का उदाहरण दिया है, जो एक निष्क्रिय गैर-सरकारी संगठन था जिसे श्री रजिन्दर सिंह ने पुनर्जीवित किया। राजस्थान में स्थित गोपाल पुरा जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में अपने कर्तव्य का निर्वाह न कर रहे सरकार के लोक निर्माण विभाग के एक सक्षम विकल्प के रूप में TBS ने काम किया। इसने गतिशील स्वयं-सहायता अभियान में आत्म-सम्मान कर संदेश जोड़ दिया। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे केवल उन्हीं गाँव से जोहाड़ बनाने में सहायता करेंगे जो अपनी इच्छा से मद्य निर्माण व मद्य पान को छोड़ते हैं। विरोधाभास का सृजन करने से कहीं अलग, इसने संगठन की विश्वसनीयता को और मजबूत किया।

लोगों द्वारा किये प्रवर्तनों की यह और ऐसी ही अन्य गाथाएं भारत में स्वयं-सहायता समूह आंदोलन की सफल कार्य प्रणाली के प्रशंसनीय उदाहरण हैं। ये हमें जन-साधारण स्तर पर लोगों के जींवन को लाभप्रद सम्मिलन व रोजगार के जरिए बेहतर बनाने व उनमें आत्म-सम्मान की भावना का सृजन करने में मदद करती हैं।